न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 51/2021
निर्णय दिनांक: 02.03.2022

1. हनुमान सहाय पुत्र श्री गोपाल लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी सी–ब्लॉक, नारायण विहार, ग्राम असरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. नन्दलाल पुत्र स्व. श्री सेडूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम नाईवाला, पटववार हल्का महापुरा, मुहाना, तहसील सांगानेर, थाना भांकरोटा, जयपुर पश्चिम।
3. गोपाल लाल पुत्र स्व. श्री सेडूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम नाईवाला, पटववार हल्का महापुरा, मुहाना, तहसील सांगानेर, थाना भांकरोटा, जयपुर पश्चिम।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2019 की निरन्तरता में पत्थरगढी के आदेश श्रीमान तहसीलदार सांगानेर जयपुर को पुनः आदेशित करने हेतु एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पर न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2019 की अवमानना कार्यवाही हेतु अन्तर्गत धारा 12 कन्टेम्पट आफॅ कोर्ट एक्ट, 1971

निर्णय

प्रार्थी ने इस आशय की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी हनुमान सहाय पुत्र श्री गोपाल लाल, निवासी सी–ब्लॉक, नारायण विहार, ग्राम असरपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा पत्थरगढी करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र संख्या 84/2018 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थी की काश्तकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 161/523 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.39 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथवीसिंह उर्फ नाईवाला, पटवार हल्का महापुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है और उक्त भूमि के पूर्व में अन्य की भूमि, पश्चिम में खसरा नम्बर 161 की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की, उत्तर में आनन्द विहार आवासीय योजना एवं दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2022 को रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा क्रय की गई थी और क्रय करने की दिनांक से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त के पूर्व की अन्य भूमि, पश्चिम में खसरा नम्बर 161 की भूमि, उत्तर में आनन्द विहार आवासीय योजना एवं दक्षिण में जो आम रास्ता है इन सभी अप्रार्थीगण को प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि पर करवाये जाने वाली पत्थरगढी से को[illegible] नहीं थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2019 में [illegible] है और इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर[illegible] उक्त भूमि पर पत्थरगढी के आदेश श्रीमान तहसीलदार, सांगानेर, जयपुर को दिये गये। इसी क्रम में श्रीमान तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.04.2021 को पटवारी हल्का नृसिंहपुरा, पटवारी हल्का ठीकरिया एवं पटवारी हल्का सांगानेर की उपस्थिति में पुलिस इमदाद के साथ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की उपस्थिति में एवं दोनों पक्षों की रजामन्दी से पत्थरगढी की गई, जिसके फोटोग्राफस् बतौर साक्ष्य एवं फर्द मौका रिपोर्ट पत्थरगढी माननीय न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:01:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(सांगानेर)

2022, 18:43

प्रस्तुत है। इसके उपरान्त दिनांक 17.04.2021 से कोविड–19 के कारण राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश पारित कर दिये गये एवं अप्रार्थीगण नन्दालाल पुत्र स्व. श्री सेडूराम, गोपाल पुत्र स्व. श्री सेडूराम वगै0 द्वारा दिनांक 18.05.2021 को लॉकडाउन का फायदा उठाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 की अवमानना कर पत्थरगढी में प्रयुक्त पत्थरों को जो कि जमीन में गढे हुए थे, उखाडकर फेंक दिया गया एवं ट्रेक्टर के द्वारा जमीन समतल कर उस पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा थाना भांकरोटा में दिनांक 20.05.2021 को लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा करवाई गई एवं जांच अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर यह पाया गया कि विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना कर पत्थरगढी को खुर्द–बुर्द कर सीमाकंन नष्ट कर दिये गये एवं प्रार्थी एवं उसके परिवारजन को जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते पुलिस थाना भांकरोटा द्वारा अन्तर्गत धारा 107, 116 जाप्ता फौजदारी विपक्षीगण नन्दालाल, गोपाल लाल, बाबूलाल, अशोक कुमार को पावन्द करने हेतु एक परिवाद माननीय न्यायालय पुलिस उपायुक्त पश्चिम में दिनांक 13.06.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा विधि द्वारा स्थापित न्याया के सिद्धान्तो को अपनाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश को प्राप्त किया गया था, जिसका विपक्षीगण द्वारा खुलेआम उल्लंघन कर और पत्थरगढी को खुर्द–बुर्द कर प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा करना माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 की निरन्तरता में श्रीमान तहसीलदार सांगानेर, जयपुर को पुनः आदेशित किया जाए कि प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद करवाने का कष्ट करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए उचित आदेश एवं अग्रिम कार्यवाही कर प्रार्थी को अनुग्रहित करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 23.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री मुकेश परवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।दिनांक 08.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से इसय आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 सही होने से स्वीकार है। माननीय न्यायालय ने प्रार्थी के कब्जे की काश्तकारी भूमि पर नाप जोख कर पत्थरगढी का आदेश दिया था। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा बेईमानी एवं बदनियति से वशीभूत होकर मिन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने उद्देश्य से माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि प्रार्थी द्वारा अंकित दिनांकों को ना तो मिन अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई और ना ही मिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की पत्थरगढी को उखाडकर फेंका गया और ना कि प्रार्थी की भूमि को समतल कर उस पर कब्जा किया गया है। बल्कि प्रार्थी द्वारा ही उक्त पत्थरगढी को उखाडकर अपनी भूमि समतल की गई, जिसमें मिन अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीगण पर कानूनी कार्यवाहियों का भय बनाते हुए मिन अप्रार्थीगण की जमीन में शामिल करने के आशय से मिथ्या मुकदमें बाजी कर मिन अप्रार्थीगण पर अनैतिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी एक मुकदमेंबाजी करने का आदि व्यक्ति है, जो आये दिन किसी ना किसी के विरूद्ध [illegible] एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर मुकदमें कर उनको हैरान व परेशान [illegible] है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 आंशिक रूप से स्वीकार है। यहां पर यह अंकित करना आवश्यक होगा कि मिन अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश कतई उल्लंघन नही किया जा रहा है बल्कि प्रार्थी द्वारा ही पत्थरगढी को खुर्द बुर्द किया गया है और मिन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविक रूप में प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीगण पर अवैधानियक रूप से कानूनी कार्यवाहियों को भय बनाते हुए मिन अप्रार्थीगण को हैरान व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:01:55 IST
Reason: SelfAttested

परेशान किया जा रहा है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 से मौका रिपोर्ट तलब की गई, दिनांक 15.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला के आराजी खसरा नम्बर 162/523, 162 कुल किता 2 कुल रकबा 3.71 खातेदार हनुमान सहाय पुत्र गोपाललाल जाति हरियाणा ब्राह्मण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न है। उक्त खसरा नम्बर का मौका उक्त आदेशानुसार दिनांक 21.12.2021 को देखा गया मौके पर वर्तमान में सरसों की फसल है तथा उक्त खसरा नम्बरान कि दिनांक 12.04.2021 को न्यायालय आदेशानुसार टीम द्वारा पत्थरगढी की गई थी जो कि वर्तमान में खुर्द बुर्द है। वर्तमान जमाबन्दी में ACM I JPR CITY दिनांक 06.06.2017 मु.न. 56/2016 का नोट भी लगा हुआ है। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वाके ग्राम पृथवीसिंह उर्फ नाईवाला, पटवार हल्का महापुरा, भू.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थितभूमि खसरा नम्बर 161/523 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.39 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर की पत्थंरगढी करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र संख्या 84/2018 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, इन सभी अप्रार्थीगण को प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि पर करवाये जाने वाली पत्थरगढी से कोई आपत्ति नही थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2019 में उल्लेखित किया गया है और इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त भूमि पर पत्थरगढी के आदेश श्रीमान तहसीलदार, सांगानेर को दिये गये। तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.04.2021 को पटवारी हल्का नृसिंहपुरा, पटवारी हल्का ठीकरिया एवं पटवारी हल्का सांगानेर की उपस्थिति में पुलिस इमदाद के साथ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की उपस्थिति में एवं दोनों पक्षों की रजामन्दी से पत्थरगढी की गई, इसके उपरान्त दिनांक 17.04.2021 से कोविड–19 के कारण राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश पारित कर दिये गये एवं अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.05.2021 को लॉकडाउन का फायदा उठाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 की अवमानना कर पत्थरगढी में प्रयुक्त पत्थरों को जो कि जमीन में गढे हुए थे, उखाडकर फेंक दिया गया एवं ट्रेक्टर के द्वारा जमीन समतल कर उस पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा थाना भांकरोटा में दिनांक 20.05.2021 को लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा करवाई गई एवं जांच अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर यह पाया गया कि विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना कर पत्थरगढी को खुर्द–बुर्द कर सीमाकंन नष्ट कर दिये गये एवं प्रार्थी एवं उसके परिवारजन को जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते पुलिस थाना भांकरोटा द्वारा अन्तर्गत धारा 107, 116 जाप्ता फौजदारी विपक्षीगण नन्दालाल, गोपाल लाल, बाबूलाल, अशोक कुमार को पाबन्द करने हेतु एक परिवाद माननीय न्यायालय पुलिस उपायुक्त पश्चिम में दिनांक 13.06.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा विधि द्वारा स्थापित न्याय के सिद्धान्तो को अपनाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश को प्राप्त किया गया था, जिसका विपक्षीगण द्वारा खुलेआम उल्लंघन कर और पत्थरगढी को खुर्द–बुर्द कर प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा करना माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित [illegible] की निरन्तरता में तहसीलदार सांगानेर को पुनः आदेशित किया जाए कि प्रार्थी [illegible] भूमि पर पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद करवाने का कष्ट करें एवं अप्रार्थीगण के वि[illegible] न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए उचित आदेश एवं अग्रिम कार्यवाही करें। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यायालय ने प्रार्थी के कब्जे की काश्तकारी भूमि पर नाप जोख कर पत्थरगढी का आदेश दिया था। प्रार्थी द्वारा बेईमानी एवं बदनियति से वशीभूत होकर मिन अप्रार्थीगण को हैरान व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:01:55 IST
Reason: SelfAttested

परेशान करने उद्देश्य से माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अंकित दिनांकों को ना तो मिन अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई और ना ही मिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की पत्थरगढी को उखाडकर फेंका गया और ना कि प्रार्थी की भूमि को समतल कर उस पर कब्जा किया गया है। बल्कि प्रार्थी द्वारा ही उक्त पत्थरगढी को उखाडकर अपनी भूमि समतल की गई, जिसमें मिन अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीगण पर कानूनी कार्यवाहियों का भय बनाते हुए मिन अप्रार्थीगण की जमीन में शामिल करने के आशय से मिथ्या मुकदमें बाजी कर मिन अप्रार्थीगण पर अनैतिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी एक मुकदमेंबाजी करने का आदि व्यक्ति है, जो आये दिन किसी ना किसी के विरूद्ध मिथ्या एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर मुकदमें कर उनको हैरान व परेशान करते हुए रूपये एठनें का कार्य करता है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश कतई उल्लंघन नही किया जा रहा है बल्कि प्रार्थी द्वारा ही पत्थरगढी को खुर्द बुर्द किया गया है और मिन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने बहस उभयपक्षकारान व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 31.10.2019 को प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 161/523 व 162 पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढी के आदेश दिये गये जिसको आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 2 व 3 चुनौती नही दी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने यह स्वीकार किया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2019 को पारित आदेश उनकी सहमति से किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि दिनांक 12.04.2021 को दोनों पक्षो की उपस्थिति में स्थाई सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढी की गई थी परन्तु आज तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट तलब करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान स्थिति में मौके पर दिनांक 12.04.2021 को टीम द्वारा पत्थरगढी की गई थी उसे खुर्द बुर्द किया जा चुका है, प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना भांकरोटा में शिकायत दर्ज करवाने पर अप्रार्थीगण को पाबन्द भी किया गया है, इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है, ना ही इसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्योचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पृथवीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 161/523 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.39 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर का उभयपक्षों की उपस्थिति में पुनः स्थाई सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढी किया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:31:55 IST
Reason: SelfAttested